न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहनलाल यादव, आई.ए.एस.

उनवान

सरकार – अपीलार्थी

बनाम

श्री हरभजन पुत्र सौन्या जाति पूर्विया, निवासी रौंसी, थाना नादौती – प्रत्यर्थी

अपील आर्म्स एक्ट

निर्णय

दिनांक–06.01.2020

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्री हरभजन पुत्र सौन्या जाति पूर्विया निवासी रौंसी थाना नादौती ने जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली के आदेश दिनांक 05.06.2012 जिसके द्वारा श्री हरभजन का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है, के विरूद्ध अपील संख्या 528/2017 माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर में आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा उक्त अपील में दिनांक 01.02.2019 को निर्णय पारित करते हुये श्री हरभजन की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि श्री हरभजन को पुनः साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर श्री हरभजन को व्यक्तिगत तलब किया जाकर वकालतन/असालतन सुनवाई हेतु अवसर दिया गया। पुलिस अधीक्षक करौली से रिपोर्ट तलब कर शामिल पत्रावली की गई।

बहस के दौरान श्री हरभजन ने अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि तत्कालीन समय में शस्त्र को संबंधित थाने में जमा करवाने हेतु समाचार पत्रों में किये गये प्रकाशन का पता नहीं चल पाया जिसके कारण वे शस्त्र को संबंधित थाने में जमा नहीं करवा पाये। शस्त्र अनुज्ञापत्र को निलंबित करते समय उन्हें सुनवाई का मौका नहीं दिया। अंत में श्री हरभजन को जारी शस्त्र लाइसेन्स को बहाल करने का कथन किया है।

पैरोकार सरकार ने पक्ष प्रस्तुत करते हुये बताया कि तत्समय गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा विभिन्न मुद्दों को लेकर किये जा रहे आन्दोलन को मध्येनजर रखते हुए जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को उनके शस्त्र सम्बन्धित थानो में जमा कराये जाने के आदेश प्रसारित किये गये। तत्समय की स्थिति में आलोच्य आदेश की प्रति की व्यक्तिगत तामील कराया जाना सम्भव नहीं था। इसलिये आदेश का प्रकाशन समाचार पत्रों के माध्यम से कराया। पुलिस अधीक्षक करौली ने भी श्री हरभजन के विरुद्ध दायर मु.नं. 205/08 धारा 341, 323, 34 आई.पी.सी. थाना नादौती का उल्लेख किया है जिसमें चार्जशीट पेश होने पर न्यायालय द्वारा राजीनामे के आधार पर दोषमुक्त किया गया है। पूर्णतः बरी नहीं किया गया है। अंत में श्री हरभजन को जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त ही रखे जाने का कथन किया है।

पुलिस अधीक्षक करौली ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक–ल–1 ( )श.अ. बहाली/डीएसबी/2019/12610 दिनांक 19.11.2019 से अवगत करवाया है कि श्री हरभजन के विरुद्ध थाना नादौती में मुकदमा संख्या 205/08 धारा 341, 323, 34 आई.पी. सी. दायर हुआ था जिसमें चार्जशीट संख्या 131 दिनांक 18.10.2008 पेश न्यायालय की गई थी जिसमें श्री हरभजन को राजीनामा के आधार पर दोषमुक्त किया गया है। शस्त्र

दिनांक 12.11.2008 से थाना नादौती में जमा है। अंत में शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल करने में अपनी अनापत्ति प्रेषित की है।

प्रकरण में बहस उभयपक्ष एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय दिनांक 27.05.2007 को जिले के समस्त शस्त्र अनुज्ञापत्रों को निलंबित कर शस्त्र जमा करवाने बाबत् आदेश जारी किया गया था। श्री हरभजन द्वारा निर्धारित समय सीमा में अपने शस्त्र को संबंधित थाने में जमा नहीं करवाया था। आंदोलन समाप्ति उपरांत शस्त्र अनुज्ञापत्र बहाली के संबंध में पुलिस अधीक्षक करौली से रिपोर्ट प्राप्त की गईं थी जिसके आधार पर श्री हरभजन का शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया था। मुकदमा संख्या 205/08 धारा 341, 323, 34 आई.पी.सी. थाना नादौती में पेश चार्जशीट संख्या 131 दिनांक 18.10.2008 में भी न्यायालय द्वारा पूर्णतः बरी नहीं किया जाकर राजीनामा के आधार पर ही दोषमुक्त किया गया है। ऐसी स्थिति में हम श्री हरभजन को जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त ही रखा जाना उचित समझते हैं।

अतः श्री हरभजन पुत्र श्री सौन्या जाति पूर्विया निवासी रौंसी थाना नादौती को जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र 143/01 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Mohan Lal Yadav
Date: 2020.06.04 14:03:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: